प्रमुख घटनाएं और उपलब्धियां

(जून, 2018)

*****

प्रमुख घटनाएं एवं उपलब्धियां:

1. माननीय प्रधानमंत्री ने 29.06.2018 को एम्स, नई दिल्ली की निम्नलिखित परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी:
   i. जेपीएनए अभिघात केंद्र, एम्स नई दिल्ली में पॉवर ग्रिड विश्राम सदन का निर्माण किया गया जिसमें मरीजों और उनके संबंधियों के लिए 300 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध है। परियोजना की लागत 32.67 करोड़ रुपए थी जिसका कुल वित्तपोषण पॉवर ग्रिड निगम के माध्यम से प्राप्त हुआ था।
   ii. मरीजों, डॉक्टरों और दूसरे संबद्ध उपकरणों की त्वरित एवं अबाधित आवाजाही की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 44 करोड़ रुपए की लागत से एम्स, अंसारी नगर और अभिघात केंद्र को जोड़ने के लिए गाडियों के अवागमन हेतु सुरंग का निर्माण किया गया है।
   iii. मस्जिद मोठ कैम्पस, एम्स, नई दिल्ली में वृद्धजनों के लिए केंद्र की आधारशिला रखी गई। 200 सामान्य वार्ड बिस्तरों वाले इस केंद्र में, जिसमें मेडिकल 20 आईसीयू बिस्तर, 4 ऑपरेशन थियेटर, 10 ऑपरेशन-पूर्व बिस्तर, 10 ऑपरेशन उपरांत बिस्तर, 15 ऑपरेशन उपरांत बिस्तर और 20 सशुल्क बिस्तर शामिल होंगे, मल्टी-स्पेशियलिटी स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराई जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 330 करोड़ रुपए है।
2. माननीय प्रधानमंत्री ने 29.06.2018 को 807 बिस्तरों वाले सुपर-स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) का भी उद्घाटन किया और सफदरजंग अस्पताल के 500 बिस्तरों वाले आपातकालीन ब्लॉक (ईबी) को राष्ट्र को समर्पित किया। सफदरजंग अस्पताल की पुनर्विकास योजना के प्रथम चरण के तहत 1431 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से दो ब्लॉकों का निर्माण हो चुका है।
3. 2 अक्तूबर, 2019 तक कुष्ठरोग पर नियंत्रण पाने के लिए माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की उपयुक्त शब्दावली के साथ राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) द्वारा एक वास्तविक योजना तैयार की गई है।
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 11वें कॉमन समीक्षा मिशन (सीआरएम) की प्रचार-प्रसार कार्यशाला का आयोजन श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 18 जून, 2018 को किया गया।
5. पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति (एनआईएमसी) ने 6 से 8 जून, 2018 तक हरियाणा राज्य का दौरा किया।
6. मंत्रालय ने 21 जून, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सचिव (एचएफडब्ल्यू) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की।
7. विश्व बैंक और अन्य विकास भागीदारों ने सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा के लिए दिनांक 6-14 जून, 2018 के दौरान एक संयुक्त क्रियान्वयन समीक्षा मिशन (जेआईआरएम) का संचालन किया।
8. बिना भुगतान आधार पर और स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने वाले दाताओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए राज्य स्तर पर विश्व रक्तदान दिवस, 2018 का अयोजन किया गया। एनबीटीसी और नाको ने दिनांक 1 से 30 जून, 2018 के दौरान पूरे देश में एक माह तक चलने वाले स्वैच्छिक रक्तदान अभियान की शुरूआत की।

9. फार्म 12(ख) और नियम 36 के संबंध में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में संशोधन करने के लिए दिनांक 01.06.2018 को एक अंतिम राजपत्रित अधिसूचना प्रकाशित की गई।

10. भारत सरकार ने मानव इम्यूनोडेफिशियन्सी वायरस, हैपेटाईटिस-बी सरफेस एंटीजन और हेपटाईटिस सी वायरस, ब्लड ग्रुपिंग सीरा, ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रीप, पूर्णतया स्वचालित विश्लेषक आधारित ग्लूकोज रिजेंट के इन-विट्रो निदान के लिए राजपत्र सं. एस.ओ. 2237(ई) दिनांक 01 जून, 2018 के जरिए राष्ट्रीय जैवविज्ञान संस्थान, नोएडा को एक सेंट्रल मेडिकल डिवाइस जांच प्रयोगशाला (सीएमडीटीएल) के रूप में नामित किया है।

11. केंद्र सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद ने स्नातकोत्तर (सुपर स्पेशिलिटी) पाठ्यक्रमों को खोलने के लिए/भर्ती क्षमता की बढ़ोत्तरी और आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए आवेदनों की प्राप्ति हेतु एक समय-अनुसूची अधिसूचित किया है।

12. "अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए और उच्चतर पाठ्यक्रम (स्नाकोत्तर कोर्स के अध्ययन या प्रशिक्षण सहित) शुरू" करने के तहत 200/250 प्रवेश वार्षिक दाखिले के लिए पात्रता मानदण्डों में संशोधन किया गया है ताकि यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि इस वर्ष के अस्पताल की अवधि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस वर्ष केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें अनुमति पत्र प्रदान किया गया है। इससे आवदेक मेडिकल कॉलेज को एक वर्ष का लाभ होगा।

13. शैक्षणिक वर्ष 2018-19 और उससे आगे के लिए प्रथम बीडीएस कोर्स हेतु प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने हेतु समय-अनुसूची के संबंध में भारतीय दंत चिकित्सा परीषद (13वां संशोधन) विनियमन, 2018 अधिसूचित किया गया है।

14. "जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के चरण-I एवं चरण-II के तहत 1628.28 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है।

15. "देश में एमबीबीएस सीटों की बढ़ोत्तरी के लिए विद्यमान राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" की केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के तहत 543.30 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है।

16. "नए स्नातकोत्तर विषयों को शुरू करने और स्नातकोत्तर सीटों में बढ़ोत्तरी के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कालेजों को सुदृढ़ करने और उनका उन्नयन" करने की केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम के तहत 64.5460 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है।

17. मंत्रालय ने सीएस (एमए) नियम, 1944 के तहत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के उपचार हेतु श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बरेली और गंगाशील एडवॉन्स्ड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली को मान्यता प्रदान की है।

18. मंत्रालय ने मैसर्स एचएलएल के जरिए सीजीएचएस के तहत जेनेरिक दवाइयों की अधिप्राप्ति के संबंध में एक आदेश जारी किया है।

19. ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत 7 प्रमुख योजनाओं में से एक योजना मिशन इंद्रधनुष है। दिनांक 20 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत लगभग 4.32 लाख बच्चों और 1.02 लाख गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए।

20. नेत्रहीनता को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत माह जून, 2018 में लगभग 3.71 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए और स्कूली बच्चों को 16049 चश्मे नि:शुल्क वितरित किए गए तथा दान में प्राप्त 4869 नेत्र एकत्रित किए गए।

******